Geography

Explore – Journal of Research for UG and PG Students
ISSN 2278 – 0297 (Print)
ISSN 2278 – 6414 (Online)
© Patna Women's College, Patna, India
http://www.patnawomenscollege.in/journal

पश्चिम पटना नगर क्षेत्र में घरेलू हिंसा, एक क्षेत्रीय अध्ययन

• ***Suruchi Sinha*** • ***Ratan Priya*** • ***Pragya Prakhar***
• ***Awadhesh Kumar***

Received : November 2014
Accepted : March 2015
Corresponding Author : Awadhesh Kumar

Abstract : घरेलू हिंसा एक बेहद गंभीर सामाजिक समस्या है, किसी भी परिवार द्वारा उसी परिवार के दूसरे सदस्यों को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक प्रताड़ना देना घरेलू हिंसा कहलाता है। घरेलू हिंसा किसी एक वर्ग या समाज तक सीमित नहीं है। कमोबेश समाज के सभी तबकों और वर्ग के व्यक्ति इसका शिकार होतें हैं। निम्न आय वाले घरों में और अशिक्षित परिवारों में घरेलू हिंसा की घटनाओं का प्रतिशत अधिक है।

चूँकि हमारा समाज एक पुरूष प्रधान समाज है, अत: महिलाएँ ही मुख्य रूप से घरेलू हिंसा की शिकार होती है। घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक समस्या से लड़ने के लिए सरकार और कानून के साथ हमारे समाज को भी जागरूक होने की आवश्यकता है।

संकेत शब्द:- घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, शोषण, महिला अपराध निर्वारक उपाय

Suruchi Sinha
B.A. III year, Geography (Hons.), Session: 2012-2015,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

Ratan Priya
B.A. III year, Geography (Hons.), Session: 2012-2015,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

Pragya Prakhar
B.A. III year, Geography (Hons.), Session: 2012-2015,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

Awadhesh Kumar
Assistant Professor, Department of Geography,
Patna Women's College, Bailey Road,
Patna – 800 001, Bihar, India
E-mail : awadhesh.pwc.@gmail.com

परिचय (Introduction) :

घरेलू हिंसा का तात्पर्य प्रतिवादी के किसी कार्यलोप या आचरण से है जिससे व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को हानि या नुकसान हो। इसमें शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण, मौखिक और भावात्मक शोषण, आर्थिक उत्पीड़न इत्यादि शामिल है। व्यथिता और उसके किसी संबंधी को दहेज, या किसी अन्य संपत्ति की माँग हेतु हानि या नुकसान पहुँचाना, उसके आर्थिक संसाधनों और स्रोतों को अपने कब्जे में ले लेना भी इसी के अधीन आता है। घरेलू हिंसा की जड़ें हमारे समाज तथा परिवार में गहराई तक जम गई हैं। इसे व्यवस्थागत समर्थन भी मिलता है। घरेलू हिंसा के खिलाफ यदि महिला आवाज मुखर करती है तो इसका तात्पर्य होता है-अपने समाज और परिवार में आमूलचूल परिवर्तन की बात करना। प्राय: देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा के मामले दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। परिवार तथा समाज के संबंधों में व्याप्त ईर्ष्या, द्वेष, अंहकार, अपमान तथा विद्रोह घरेलू हिंसा के मुख्य कारण हैं। परिवार में हिंसा की शिकार सिर्फ महिलाएँ ही नहीं बल्कि वृद्ध और बच्चे भी बन जाते हैं। प्रकृति ने महिला और पुरूष की शारीरिक संरचनाएँ जिस तरह की है उनमें महिला हमेशा नाजुक और कमजोर रही है, वहीं हमारे देश में यह माना जाता है कि पति को पत्नी पर हाथ उठाने का अधिकार शादी के बाद ही मिल जाता है। क्योंकि तुलसी दास जी कहते हैं- 'शूद्र, पशु, ढ़ोल, गंवार नारी ये सब तारन के अधिकारी', इसी तारतम्य में वर्ष 2006-2012 के मध्य में भारत में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं, बच्चों अथवा वृद्धों को कुछ राहत जरूर मिल गयी है।